बिहार लोक सेवा आयोग,
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना–800001

विoसंo 63/2020 के साक्षात्कार में सम्मिलित तांती/पान (ततवा) अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना

Civil Appeal No. 18802 of 2017 Dr. Bhim Rao Ambedkar Vichar Manch Bihar, Patna V/s- The State of Bihar में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्र संख्या–11/आo–न्याय 73/2024 12679/साoप्रo, दिनांक 12.08.2024 द्वारा प्रकाशित बिहार गजट में तांती (ततवा)/पान जाति को अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची–1) के क्रमांक 33 पर पुर्नस्थापित किया गया है।

अतः विज्ञान प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, भौतिकी के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विoसंo 63/2020 के अंतर्गत साक्षात्कार में सम्मिलित पान/तांती (ततवा) जाति के सभी उम्मीदवारों जिन्होंने पूर्व में अपने ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित जाति (02) का कोटि के आधार पर पान/तांती जाति का दावा किया है को निदेश दिया जाता है कि वे अपने User Name & password से Login करते हुए दिनांक 20.11.2024 तक अपनी कोटि "अत्यंत पिछड़ा वर्ग (04) के तहत तांती/पान (ततवा) के रूप में सुधार करना तथा क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड करना सुनिश्चित करें। कोटि सुधार एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पर आपका आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा।

यदि दिनांक 20.11.2024 तक आरक्षण कोटि में सुधार/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं किया जाता है तो वैसे उम्मीदवारों के अभ्यर्थिता पर आयोग निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

29.10.2024

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।